मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्राँक : 81 /सं0सचिव कार्या0/2019–20 दिनांक : 26.9.19

कार्यालय आदेश

उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 05–08–2019 के क्रम में प्राधिकरण की योजनाओं में स्थित विभिन्न श्रेणी के रिक्त आवासीय भवनों एवं फ्लैटस् का पंजीकरण दिनांक 16–08–2019 से 16–09–2019 तक की अवधि हेतु खोला गया है। एतद्विषयक सम्पत्तियों के पंजीकरण हेतु इलाहाबाद बैंक को जारी की गयी विवरण पुस्तिका में संलग्न की गयी तालिका के क्रमाँक 29 पर शताब्दीनगर योजना, सैक्टर 4बी के पॉकेट ए के उच्च आय वर्ग श्रेणी के विज्ञापित 08 भवन का मूल्यांकन अंकन रूपये 39,44,000/– व सामान्य आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि (10 प्रतिशत) रूपये 3,44,400/– व आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि (05 प्रतिशत) रूपये 1,97,200/– के स्थान पर त्रुटिवश मूल्यांकन अंकन रूपये 29,44,000/– व सामान्य आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि (10 प्रतिशत) रूपये 2,94,400/– व आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि (05 प्रतिशत) रूपये 1,47,200/– छप गया है।

विवरण पुस्तिका की तालिका के क्रमाँक 29 पर त्रुटियुक्त प्रकाशित विवरण के स्थान पर सम्पत्ति का सही विवरण निम्नानुसार पढ़ा जाये:–

क्र0 सं0	योजना का नाम	सैक्टर/ पाकेट	भवन की श्रेणी	भवन/फ्लैट की संख्या	क्षेत्रफल (व0मी0)	वर्तमान कीमत	सामान्य वर्ग के लिये पंजीकरण धनराशि (10%)	आरक्षित वर्ग के लिये पंजीकरण धनराशि (05%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
29.	शताब्दीनगर (भवन)	4बी/ए	उच्च आय वर्ग	08	180.00	3944000	394400	197200

यह भी सूचित करना है कि जो आवेदक अपना पंजीकरण विवरण पुस्तिका के आधार पर पहले ही करा चुके हैं, उनसे पंजीकरण के अन्तर की धनराशि, आवंटन पश्चात् आवंटन धनराशि के साथ जमा करा ली जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

प्रभारी अधिकरी सम्पत्ति,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपिः–

1. प्राधिकरण कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
2. शाखा प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर, मेरठ को सूचनार्थ एवं तद्नुसार बैंक के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
3. श्री शरद कुमार, सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर को उपरोक्त आदेश प्राधिकरण की प्रति एवं विवरण पुस्तिका तथा सम्पत्तियों के मूल्यांकन का विवरण वैबसाईट पर पुनः लोड कराने हेतु।

26.9.19

प्रभारी अधिकरी सम्पत्ति,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

ARENGEMENT